वित्तीय स्वीकृति

संख्या-38/2017/1451/52-3-2017-बजट(17)/2017

प्रेषक,

डा0 पिंकी जोवल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा□-3 लखनऊः दिनांक अगस्त, 2017

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र 0-1890/□0□0□0□□0/□□0□□0/2016, दिनांक 14.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय व्ययक) □□□□□-1 □□ कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/□□-1-1190/□□-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017, के प्रस्तर-2(6) में दी गयी व्यवस्थानुसार तथा केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को शासनादेश सं0-2855/52-3-14- □□(8)/14, दिनांक 06 जनवरी, 2015 में निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश के भुगतान हेतु आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 57,63,88,000/- के सापेक्ष स्वीकृत प्रथम किश्त के रूप में रू0 24,03,70,000/-के सापेक्ष कुल अवशेष धनराशि रू 33,65,18,000/- □□ स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर निम्नंकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते है:-

(1) राज्य सरकार द्वारा मानदेय के रूप में दिये जाने वाले अतिरिक्त अनुदान का भुगतान केवल उन्हीं मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को किया जायेगा जो कि भारत सरकार की "मदरसा आधुनिकीकरण योजना" से आच्छादित है तथा पूर्व में भारत सरकार द्वारा मदरसे में कार्यरत आधुनिक विषयों के मानदेय का भुगतान किया गया है।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा □□□□□□ को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(4) मानदेय के रूप में राज्य सरकार द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि संबंधित शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि का भुगतान की □□□□□

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को 31.03.2018 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त □□ □□ □□□□

(8) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब वह मदरसे □□□□□ में नियमो/शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

(9) माह नवम्बर, 2017 से मदरसा पोर्टल के माध्यम से 100 प्रतिशत भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र दिनांक 31.08.2017 तक उपलब्ध कराया जाय।

2. उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा -800-अन्य व्यय-02-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण-20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) में व्यवस्थित धनराशि से वहन किया □□□□□

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/□□-1-1190/ □□-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(□□0 पिंकी जोवल)
विशेष सचिव

संख्या-1451(1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□

4- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन□ □□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

6- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।